फर्द अहकाम
(नियम 133)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ

विशाल बनाम बलवन्त आदि

अन्तर्गत धारा :– धारा 88,188 आर.टी.ए. राजस्व वाद संख्या :– 130/2020

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी
14.07.2020 यह वाद पत्र वादीगण की ओर से श्री ~~अनिलकुमार शर्मा~~ विनोद पारीक अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा धारा 88 आर.टी.ए. प्रस्तुत किया गया है। सरिश्ता से रिपोर्ट हो चुकी है। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 24.8.2020 को पेश हो। (कपिल यादव) उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ।	सम्मन 290/2020
07.08.2020 वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्रावली को पेशी में लिये जानें बाबत निवेदन किये जानें पर पत्रावली को पेशी में लिया जाकर प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से श्री दौलतराम सिलू अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया वादीगण एवम् प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो खुले न्यायालय में पढ़ कर सुनाया गया। उभयपक्ष द्वारा राजीनामा स्वीकार किये जानें पर राजीनामा पर उभयपक्ष के हस्ताक्षर करवाये गये उभयपक्ष की पहचान उनके अधिवक्तागण द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही पूर्व निर्धारित दिनांक 24.08.2020 को पेश हो. (कपिल यादव) **उपखण्ड अधिकारी एवम्** **पदेन सहा0यक कलक्टर** **हनुमानगढ़**	विशाल Identified by me ...
24.08.2020 वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया वादी वादी पोषणीय पाये जानें पर स्वीकार कि विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जानें के उपरान्त अन्तिम डिक्री जारी कर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील मूल दाखिल दफ्तर हो। (कपिल यादव) उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़	सूचित ...

Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2020.09.24 11:37:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner